(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में ध्यान दिया जायेगा; और

(ग) वहां मिट्टी का तेल नियंत्रित मूल्य पर कब तक उपलब्ध हो जायेगा ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्रीमती हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जनवरी से जून, 1979 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की बिक्री वर्ष 1978 के पहले 6 महीने की बिक्री की तुलना में आंशिक रूप से अधिक रही है । फिर भी, उत्पाद की उपलब्धता संबंधी पूरी कमी को देखते हुए उत्पाद की निकासी में प्रतिबन्ध लगाया गया था । फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अस्थायी कमी हो गयी थी । फिर भी, एजेन्टों द्वारा उत्पादों के अधिक मूल्य वसूल करने की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । आवश्यक वस्तु-अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (मूल्य सीमा निर्धारण) आदेश में, राज्य सरकार को चाहिए कि वे मिट्टी के तेल के लिए नियंत्रण करें और फुटकर मूल्य निर्धारित करें । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उत्पादों की अस्थायी कमी द्वारा उत्पन्न स्थिति का असामाजिक तत्व फायदा न उठायें और जमाखोरी, चोर बाजारी आदि को रोकें ।

(ख) विभिन्न सप्लाई वाले स्थानों पर मिट्टी के तेल की सूची सुधार दी गयी है और मिट्टी के तेल की सप्लाई को तेज कर दिया गया है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपलब्ध उत्पादों के समान वितरण को सुनिश्चित करें और इसके अतिरिक्त सप्लाई से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई में सुधार होने की आशा है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उत्तर दे दिया गया है ।

Raise in prices of Petroleum and its likely effect on consumption

367. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are now intending to further raise the price of petroleum for consumers in the country;

(b) whether this measure is intended to reduce consumption or meet the additional cost of petroleum production;

(c) whether experience of the earlier price hikes leave any room for the expectation that consumption would come down due to higher prices; and

(d) what will be the percentage of people who would have to pay from their own pocket, since vehicles run on Government and company account will not suffer the constraint of prices?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Various proposals are under the consideration of Government to meet the situation arising out of the recent decisions of the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) to increase the prices of imported crude oil and the consequent increases in the prices of deficit imported petroleum products.

(b) An increase in price not only meets the additional cost of production but also curbs consumption.

(c) Yes, Sir. A drastic price increase tends to reduce consumption.

(d) This information is not available.

Reorganisation of D.A.V.P. system

368. SHRI AMAR ROY PRADHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(c) whether it is a fact that Government have decided to reorganise the D.A.V.P. system;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) As all the activities of DAVP are centralised, the need to invest all publicity operations with rural and local relevance has become manifest. Programmes are now proposed to be originated from the regional centres for a meaningful and effective publicity. The details of decentralisation schemes are as under:—

(i) *Opening of three Regional offices in East, West and South*:

Each Regional Office will be miniature DAVP equipped with the facilities of studio, copywriting, production of printed publicity material, outdoor publicity, and other anciliary services of finance and accounts. A beginning is being made with an office in Bombay.

(ii) *Decentralisation of printing in the area of the language*:

DAVP undertakes printing of material in 13 different languages. Most of the printing work is centralised at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras. It has been decided to set up 12 printing cells in 12 different parts of the country for production of the language version of our printed publicity material in the region of the language.

(iii) *Collection of addresses for distribution of printed publicity material*:

This operation at present is done from headquarters. The Government have decided to obtain the addresses from the four regions (North, East, West and South) by placing the staff in the regions.

(c) Does not arise.

Progress in taking over TISCO

369. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state: the latest progress so far made in taking over the TISCO?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): The matter is still receiving attention of the Government.

बनकुईयाना (मध्य प्रदेश) में पाये गये चूना पत्थर को बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव

370. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवां जिला में बनकुईयाना क्षेत्र में पाये गये चूना पत्थर को बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये आरक्षित करने हेतु समन्वेषण लाइसेंस मांगा है और यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बनकुईयाना क्षेत्र में पाये गये चूना पत्थर को उपयोग करने के लिये एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है और इसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण की समन्वेषी लाइसेंस के लिये मांग को भी अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र का चूना पत्थर 1963 में इस्पात संयंत्र के लिये आरक्षित किया गया था परन्तु स्वयं इस्पात उद्योग ने 1970 में इसका परित्याग कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण अब किन कारणों से उक्त क्षेत्र के चूना पत्थर को बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये आरक्षित कराने के प्रयास कर रहा है जबकि उक्त क्षेत्र के चूना पत्थर के उपयोग के लिये सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय मध्य प्रदेश के रीवां जिले में बनकुईया क्षेत्र से है न कि बनकुईयाना क्षेत्र से । मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1976 में बोकारो इस्पात कारखाने को (जो स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का एक कारखाना है) दो वर्ष के लिए रीवां जिले में बनकुईया गांव के निकट 557.278 हैक्टर क्षेत्र में चूना-पत्थर और डोलामाइट के पूर्वेक्षण के लिए एक लाइसेंस दिया था । बाद में इस लाइसेंस की अवधि दो वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई थी । अब इस लाइसेंस की अवधि 10-5-1980 तक है । "सेल" ने मध्य प्रदेश सरकार से इस क्षेत्र में पाए गए चूना-पत्थर को आरक्षित करने हेतु कोई नया पूर्वेक्षण लाइसेंस देने की प्रार्थना नहीं की है । अत: उसके द्वारा इस सम्बन्ध में की गई किसी मांग को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।